



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042021-226754
CG-DL-E-26042021-226754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2021/वैशाख 6, 1943

No. 184]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2021/VAISAKHA 6, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 अप्रैल, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/16.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में,-
I. विनियम 11 में, खंड (क) के पश्चात् और खंड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
“(कक) पोर्टफोलियो प्रबंधक नियंत्रण में परिवर्तन होने के मामले में बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा, उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./47/2021-22]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/03 द्वारा, 16 जनवरी, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
 2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तत्पश्चात्,-
 - क. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - ख. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/10, द्वारा
- संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th April, 2021

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(PORTFOLIO MANAGERS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (b) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020,-
 - I In regulation 11 after clause (a) and before clause (b) the following clause shall be inserted, namely,-

“(aa) the portfolio manager shall obtain prior approval of the Board in case of change in control in such manner as may be specified by the Board”

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./47/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, were published in the Gazette of India on January 16, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/03.
2. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020 were subsequently amended on, –
 - a. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - b. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/10.